तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामरतन V/s गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० किया है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— ~~123/2024~~ 06/2023

1. रामरतन पुत्र पातरिया जाति जाटव निवासी गहलउ तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..................प्रार्थी

बनाम

1. गंगाराम
2. चन्द्रभान पुत्रान रोशनलाल
3. कमलेश
4. विमलेश पुत्रीयान रोशनलाल
5. तुलसादेवी पत्नि रोशनलाल समस्त जातियान कोली निवासीयान भैंसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उच्चैन।
7. राजकुमारी पत्नि भीमसिंह जाति जाट निवासी गहलउ तहसील उच्चैन
8. शान्ति पत्नि समन्दर जाति जाट निवासी गहलउ तहसील उच्चैन

.............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धमेन्द्र चौधरी एडवोकेट
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 7 व 8

दिनांकः—29.08.2025

निर्णय

प्रार्थी/प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 379 रकवा 0.27है0 बाके ग्राम गहलउ में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी का पुरान खसरा नम्बर 300 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा था दौराने सैटलमेंन्ट उक्त आराजी का नया नम्बर 379 बनाया गया एवं इसका रकवा मुताबिक जमाबंदी 0.27है0 सही दर्ज किया गया है एवं दौराने सैटलमेंन्ट उक्त आराजी का नया राजस्व नक्शा भी तैयार किया गया लेकिन नये राजस्व नक्शा में मुताबिक नक्शा पैमाना के रकवा कम कर दिया जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रकवा 0.27है0 सही दर्ज है लेकिन मुताबिक नक्शा उक्त आराजी का रकवा पूर्ण नहीं होता एवं प्रार्थी की आराजी में से 7 एयर आराजी कम हो जाती है। जैसे ही पडोसी खातेदारान को उक्त तथ्य की जानकारी हुयी तो उन्होंने मुताबिक नये

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

नक्शे के पैमाईश करा हमारी खातेदारी की भूमि पर पैमाईश करा कब्जा करने पर उतारू है। दिनांक 30.08.2023 को हल्का पटवारी से जानकारी लेने पर प्रार्थी को दौराने सैटलमेंन्ट हुयी अशुद्धि की जानकारी हुयी एवं तहसीलदार उच्चैन से उक्त अशुद्धि को शुद्ध करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। दिनांक 14.05.2024 को प्रार्थीया राजकुमारी एवं शान्ति के द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया राजकुमारी एवं शान्ति को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। दिनांक 07.08.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 5 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 379/0.27है0 अकेले प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी नहीं है बल्कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 की निस्फ हिस्से की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है एवं मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 द्वारा मनवट विभाजन कर रखा है एवं मौके पर अलग अलग बदस्तूर मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के खसरा नम्बर 381 की बगल में अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 शान्तिपूर्वक काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 से किसी भी प्रकार का कोई तनाजा तथा विवाद कभी भी आज तक नहीं हुआ है और ना आज है। प्रार्थी का मौके पर हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का खसरा नम्बर 381 आपस में चपटेवा नहीं है बल्कि उनके मध्य अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा आज तक खसरा नम्बर 379 व 381 की साथ–साथ पैमाईश कभी नहीं करायी है और ना ही कभी खसरा नम्बर 379 की पैमाईश करायी है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 के द्वारा खसरा नम्बर 381 की पैमाईश कई बार कारयी गई है एवं उक्त खसरा नम्बर की पैमाईश जरिये सैटलमेन्ट विभाग द्वारा भी करायी गई थी मौके पर कोई विवाद नहीं पाया गया है। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यों एवं मनगढंत बातों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम के साथ पेश किया है जबकि भू राजस्व अधिनियम की किसी भी कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसी बजह से धारा 212 राज0टी0एक्ट के प्रावधान मौजूदा प्रकरण में लागू नहीं होने से धारा 212 राज0टी0एक्ट के तहत कोई अस्थाई निषेधज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मेन्टेबिल नहीं होने के कारण काबिल खारिजी है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वारा अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन कि उक्त आराजी उच्चैन से बारहमाफी जाने वाले रास्ते पर पडती है। खसरा नम्बर 381 के पश्चिम में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 379 स्थित है जिनका साबिक नम्बर 300 है दौराने सैटलमेंन्ट खसरा नम्बर 379 के पूर्व दिशा के गट्ठे 20 से 18 कर दिये एवं दक्षिण दिशा के गट्ठे 28 के स्थान पर 26 कर दिये जिसके कारण हम अप्रार्थीगण की आराजी से 7 एयर जमीन कम हो गई। प्रार्थीगण को नक्शे में अशुद्धि का पता चला एवं उक्त अशुद्धि का फायदा उठाकर अप्रार्थी ने पैमाईश कराकर मुझ

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अप्रार्थी की आराजी में जबरन मुड्डी गाढ दी एवं पेड आदि काट दिये। अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 379/0.27है0 अकेले प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी नहीं है बल्कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 की निस्फ हिस्से की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है एवं मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 द्वारा मनवट विभाजन कर रखा है एवं मौके पर अलग अलग बदस्तूर मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के खसरा नम्बर 381 की बगल में अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 शान्तिपूर्वक काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 से किसी भी प्रकार का कोई तनाजा तथा विवाद कभी भी आज तक नहीं हुआ है और ना आज है। प्रार्थी का मौके पर हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का खसरा नम्बर 381 आपस में चपटेवा नहीं है बल्कि उनके मध्य अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा आज तक खसरा नम्बर 379 व 381 की साथ–साथ पैमाईश कभी नहीं करायी है और ना ही कभी खसरा नम्बर 379 की पैमाईश करायी है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 के द्वारा खसरा नम्बर 381 की पैमाईश कई बार कारयी गई है लेकिन प्रार्थी ने उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया है एवं प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थना धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के साथ पेश किया है जो मेन्टेबिल नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ पेश राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के साथ पेश किया गया है। जबकि भू राजस्व अधिनियम की किसी भी कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसी बजह से धारा 212 राज0टी0एक्ट के प्रावधान मौजूदा प्रकरण में लागू नहीं होने से धारा 212 राज0टी0एक्ट के तहत कोई अस्थाई निषेधज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर